अभिलेख निरीक्षक, रास की नजरी नक्शा मौका रिर्पोट में विकल्प बी के रूप लाल स्यायी से दर्शाया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते े खसरा नम्बर 2640 में से प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता म्बाई 93 मीटर व चौड़ाई 06 मीटर है यानि कुल क्षेत्रफल 558 वर्गमीटर को गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना एवं जिसके प्रतिकर राशि स्वरूप राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के प्रावधान अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अर्थात बाजार मूल्य के मद्देनजर ग्राम रास-II की उक्त सरकारी भूमि की अधिकतम डीएलसी रेट वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुणा (2.0) मानते हुए कुल मुआवजा राशि 558 वर्गमीटर×114.56 रूपये = 63924/- रूपये राउण्ड ऑफ 64000/- रूपये अक्षरे चौसठ हजार रूपये निर्धारित की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना एवं रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम रास-II, पटवार हल्का रास-II, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास के खसरा नम्बर 2622 रकबा 0-0081 हैक्टर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 2623 रकबा 0-0243 हैक्टर किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 2630 रकबा 0-9389 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 2631 रकबा 0-1052 हैक्टर किस्म गै0मु0 व खसरा नम्बर 2632 रकबा 3-2456 हैक्टर किस्म चाही दोयम तक पहुँच मार्ग के लिये न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 2640 किस्म चाही दोयम से में से 93 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा यानि कुल क्षेत्रफल 558 वर्गमीटर का रास्ता पटवारी, पटवार हल्का- रास-II व भू अभिलेख निरीक्षक रास के द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप खसरा नम्बर 2640 रकबा 2.4119 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में सें 558 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 57.28/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 558 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 64000/- रूपये (अक्षरे चौसठ हज़ार रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 2640 के खातेदारान को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करनें का निर्देश दिया जाता है। खातेदारान द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। सीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर कृत रास्ता चालू करावें। पटवारी, पटवार हल्का- रास-II एवं भु अभिलेख रीक्षक- रास द्वारा तैयार दिनांक 25.07.2023 की फर्द मौका रिपोर्ट इस ादेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी ुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण,(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 03/02/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण,(जिला-ब्यावर)